न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारीः–चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः–432/2011 प्रार्थना पत्र

1–श्री सांवरलाल पिता श्यामलाल गूजर, उम्र नाबालिग जरिये सरंक्षक लादूलाल पिता काना गूजर, उम्र बालिग निवासी धांगड़ास तहसील व जिला भीलवाड़ा
2–श्री धर्मेन्द्र पिता श्यामलाल गूजर, उम्र नाबालिग जरिये संरक्षक लादूलाल पिता काना गूजर, उम्र बालिग निवासी धांगड़ास तहसील व जिला भीलवाड़ा
3–रेखा पिता श्यामलाल गूजर, उम्र नाबालिग जरिये संरक्षक लादूलाल पिता काना गूजर, उम्र बालिग निवासी धांगड़ास तहसील व जिला भीलवाड़ा
4–गुड्डी पिता श्यामलाल गूजर, उम्र नाबालिग जरिये संरक्षक लादूलाल पिता काना गूजर, उम्र बालिग निवासी धांगड़ास तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

––––प्रार्थीगण

बनाम

1–श्री श्यामलाल पिता रामलाल गूजर, उम्र बालिग निवासी केवाड़ा तहसील व जिला भीलवाडा (राजस्थान)
2–श्री लादूलाल पिता रामलाल गूजर, उम्र बालिग निवासी केवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
3–श्री बंशीलाल पिता रामलाल गूजर, उम्र बालिग निवासी केवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
4–श्रीमति मंजु पत्नि भगत सैन, उम्र बालिग निवासी सांगानेर कॉलोनी–भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
5–राजस्थान राज्य जरिये कलेक्टर साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
6–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा

–––––विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 जा0दी0

उपस्थितः–

1–श्री शंभूदास वैष्णव – एडवोकेट–प्रार्थीगण

:: नि र्ण य :: दिनांकः–27.12.2017

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 जा0दी0 का विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के परिवार का सजरा निम्न प्रकार हैः–

रामलाल

लादू बंशी श्याम

उपखण्ड अधिकारी (राज.)

Scanned by CamScanner

विरासत से लादूलाल, बंशीलाल व श्यामलाल पिता रामलाल गूजर के नाम दर्ज रेकार्ड हुई। जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी की नकल सम्वत् 2065 से 2068 से होती हैं। प्रार्थीगण नाबालिग होकर श्यामलाल के पुत्र हैं। श्यामलाल पिता रामलाल गूजर अभी जीवित होकर राजस्व रेकार्ड में श्यामलाल के नाम भूमि दर्ज हैं। प्रार्थीगण अभी नाबालिग हैं। तथा संरक्षक के रूप लादूलाल पिता काना गूजर हैं। प्रार्थना पत्र की कलम नं. 2 में अंकित सजरे की ताईद प्रस्तुत राजस्व अभिलेख से होती हैं। विवादित आराजियात संयुक्त रूप से दर्ज रेकार्ड होकर अविभाजित हैं। जिसमें प्रार्थीगण का 1/15 हिस्सा होकर अपने पिता के 1/3 हिस्से को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। क्योंकि प्रार्थीगण के पिता जीवित होने के कारण विवादित आराजियात में प्रार्थीगण किसी प्रकार का हिस्सा नहीं बनता है और न ही प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है, और न ही प्रार्थीगण को किसी प्रकार की अपूरणीय क्षति हो रही है। क्योंकि प्रार्थीगण का विवादित आराजियात पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त भी नहीं है क्योंकि प्रार्थीगण नाबालिग होकर किसी प्रकार की काश्त विवादित आराजियात पर नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक खातेदार के विरूद्व किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना उचित प्रतीत नहीं होता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में असफल रहने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाना उचित समझता हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में असफल रहने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता हैं।

(चिन्मयी गोपाल)
आई. ए. एस.
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

आज दिनांक 27.12.2017 को निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner